APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट – लाम्बा

हेमलता पत्नि रामलाल नंगवाडा बैरवा निवासी– बिजयनगर

बनाम

रतनलाल पिता नारायण लाल बैरवा निवासी– चितौडगढ

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 47 नियम–1 जाप्ता दीवानी

प्रकरण संख्या– 171/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.06.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट लाम्बा पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी अनुपस्थित। वकील प्रार्थी की इस्तदुआ पर वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील प्रार्थी का कथन था कि अप्रार्थी संख्या– 1 ने एक वाद प्रकरण संख्या– 209/2014 उनवान रतनलाल बनाम काना प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराज़ी को खरीदशुदा बताते हुए दिनांक 15.06.2016 को खातेदार घोषित करवा लिया, अप्रार्थी संख्या– 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद में वर्णित आराजी प्रार्थीया की खरीदशुदा आराजी है तथा अप्रार्थी संख्या– 1 द्वारा वाद प्रस्तुत करने के पूर्व ही वर्ष 2013 में प्रार्थीया के नाम उक्त आराजीयात का नामान्तकरण संख्या– 2963 दिनांक 20.12.2013 को निर्णित किया जाकर राजस्व जमाबन्दी में भी प्रार्थीया का नाम बतौर खातेदार अंकित किया जा चूका था इस तथ्य को अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय से छिपाते हुये वाद प्रस्तुत कर एक तरफा डिक्री करवा लिया गया, जो विधि विरुद्ध होकर न्यायालय को भी गुमराह किया गया है। वकील प्रार्थी का बहस में यह भी कथन था कि निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 से प्रार्थीया बाध्य भी नही है। क्योंकि अप्रार्थी नम्बर– 1 के द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रार्थीया पक्षकार नही थी, और न ही उसे सुनवाई का अवसर ही दिया गया। जबकि वाद प्रस्तुति के समय से प्रार्थीया राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही है तथा मौके पर भी प्रार्थीया का कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में पारित किया गया निर्णय व डिक्री प्रार्थीया के हकों व अधिकारों पर शून्य निष्प्रभावी होने से निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर वाद संख्या– 209/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 को पुनः विलोकन कर अपास्त फरमाया जावें। मैनें वकील प्रार्थी को सूना । बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोंवजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है–	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 मौजा लाम्बा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1756, 1757 किता 2 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा भूमि कन्हैयालाल, लालचन्द्र, राजू, प्रहलाद, महेन्द्र, पिता धन्ना, तुलसी, लक्ष्मी, प्रेम, भँवरी, पुत्री धन्ना चमार साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 2968 निर्णिय दिनांक 20.12.2013 बेचान से कन्हैयालाल, लालचन्द्र, राजू, प्रहलाद, महेन्द्र पिता धन्ना, तुसली, लक्ष्मी, प्रेम, भँवरी पुत्री धन्ना के बजाय हेमलता पत्नि रामलाल नंगवाडा जाति बैरवा साकिन बिजयनगर का नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

यहाँ प्रार्थीया का मुख्य कथन यह है कि वादग्रस्त आराजीयात उनकी रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.10.2007 से खरीद शुदा आराजीयात है तथा राजस्व रिकार्ड में उनके नाम वर्ष 2013 में ही दर्ज हो चूकी थी, उसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या–1 रतनलाल ने यह वाद संख्या– 209/2014 उनवान रतनलाल बनाम काना प्रतिवादीगण से दूरभि सन्धि से प्रस्तुत कर एक तरफा डिक्री पारित करवा लिया, उक्त प्रकरण में प्रार्थीया को पक्षकार भी नही बनाया गया।

अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या– 209/2014 निर्णय दिनांक 15.06.2016 रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.10.2007 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई, जिनका अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी संख्या–1 रतनलाल पिता नारायण लाल बैरवा के द्वारा न्यायालय में अन्तर्गत धारा– 88, 188 रा.टी.ए. के तहत काना, लालचन्द, राजू, प्रहलाद, नरेन्द्र, तुलसी, प्रेमी, लक्ष्मी, भँवरी के विरुद्ध वर्ष 2014 में वाद पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1756, 1757 किता 2 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा में से 04 बीघा भूमि के लिये अपने नाम एक तरफा कार्यवही कराते हुऐ हक घोषणा की डिक्री प्राप्त कराना प्रथम दृष्टिया प्रतीत हुआ है।

जबकि प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के अनुसार प्रकरण संख्या– 209/2014 के प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया के द्वारा दिनांक 11.10.2007 को ही खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया गया था, तथा खातेदारों के बजाय प्रार्थीया का नाम भी राजस्व रेकार्ड में दिनांक 20.12.2013 को दर्ज हो चूका था, उसके उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या– 1 रतनलाल ने वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार प्रार्थीया हेमलता को पक्षकार नही बनाकर सात वर्ष पूर्व के खातेदारों को जानबूझ कर पक्षकार बनाकर पुरानी राजस्व जमाबन्दी के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत कर एक तरफा डिक्री पारित करवाना प्रकट आया है। जो विधि विरुद्ध होकर नेसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के भी विपरित है। साथ ही प्रकरण संख्या– 209/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 के विरुद्ध आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय में अपील लम्बित नही है । ऐसी स्थिति में प्रार्थना प्रत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना

नेक्टर
ावपुरा
ाड़

Scanned by CamScanner

न्यायालय न्यायहित में उचित समझता है।

"आदेश"

प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश– 47 नियम– 1 जाप्ता दीवानी का स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद संख्या– 209/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली शूमार फैसल होकर मूल वाद संख्या– 209/2014 के साथ संलग्न रहे। आदेश आज दिनांक 21.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट लाम्बा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner